तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 26/2019 ओमप्रकाश दांतीवाड़ा बनाम गोपाललाल वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.09.2019	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ओमप्रकाश दांतीवाड़ा स्वयं उपस्थित। प्रार्थी ने अपनी बहस मे कथन किया कि खसरा नं0 52 रकबा 06 बीघा वाके मौजा लोलावास का है जो कि जमाबंदी सम्वत् 2020 से 2023 तक डोली बनाम मंदिर श्री चिड़ियानाथ जी वाके मौजा पालासनी बेएतमाम पुजारी मेगनाथ चेला लालनाथ कौम नाथ सा पालासनी के नाम दर्ज है जो कि सार्वजनिक/प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है इसलिए उक्त डोली भूमि के खसरा नं0 52 रकबा 6 बीघा जो कि वर्तमान में बगैर नामान्तरकरण के बेचान कर निजी खातेदारी में दर्ज कर दी गई है को निरस्त फरमाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2061–2064 का अवलोकन किया इस जमाबन्दी में नोट अंकित है कि ''तहसीलदार महोदय जोधपुर के आदेश क्रमांक/भू.अ./2018/315–359 दिनांक 24.1.18 व राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश वर्ष 1991 की पालना में डोली भूमियों को खातेदारी से मिसल के अनुसार डोली के नाम दर्ज करने की पालनार्थ खसरा नं0 52 को मिसल बन्दोबस्त के अनुसार डोली के नाम दर्ज किया जाता है शेष खसरा जमाबन्दी बदस्तूर बनाम श्री चिड़ियानाथजी महाराज के नाम दर्ज किया। शेष बदस्तूर।'' **<u>आदेश</u>** अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है क्योंकि प्रार्थी द्वारा जिस अनुतोष के लिये प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था उसकी पालना पहले ही हो चुकी है। **(मदनलाल नेहरा)** **अपर जिला कलक्टर (प्रथम)** **जोधपुर।**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:14:51 IST
Reason: SelfAttested